न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 224/2006

मुकेश आदि बनाम पतस्या आदि

आदेश

दिनांक: 13.1.2026

यह आदेश उपरोक्त वर्णित प्रकरण में अंकित प्रतिवादिया संख्या 3 – श्रीमती प्रेम – की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांकित 20.6.2022 पर पारित किया जा रहा है । अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया (प्रतिवादिया संख्या 3) द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा उक्त दावा खसरा नम्बर 7454 रकवा 1.49 हैक्टेयर वाके ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी में स्थित भूमि के लिए निष्पादित विकयपत्र को निरस्त कराने के लिए पेश किया गया है, रजिस्टर्ड विकयपत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालयों को रजिस्टर्ड विकयपत्र निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्षेत्राधिकारिता के इसी बिन्दु पर हस्तगत वाद पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत के साथ वादीगण को लौटाये जाने का निर्देश दिया जावे । आगे कथन किया गया है कि वादीगण ने अपने दावे के मद संख्या 3 में नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 2_.6.2005 को विकयपत्र को कानूनन गलत होना मानकर नल एवं शून्य घोषित करने के लिए पेश किए जाने के कथन किए हैं तथा दावे के मद संख्या 11 क में इस्तदुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

बाबत भूमि खसरा नम्बर 7474 रकबा 1.59 को नल एण्ड वॉईड कर विकयपत्र निरस्त कराने बाबत रिलीफ चाही है, जो इस न्यायालय को देने का अधिकार नहीं है । क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे । जबकि प्रार्थीया श्रीमती प्रेम का कब्जा लगातार आराजी खसरा नम्बर 7454 रकबा 1.59 हैक्टेयर वाके ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द पर रजिस्टर्ड विकय की दिनांक 16.6.2005 से चला आ रहा है तथा नामान्तकरण भी प्रार्थीया के नाम खुल चुका है, ऐसे में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र न्यायालय की अधिकारिता से बाहर का होने के आधार पर खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण को निर्देश प्रदान किए जावें कि वे दावा सक्षम न्यायालय में पेश करें ।

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि श्रीमती प्रेम ने अपना प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है । वादीगण ने अपना वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व भूमि विभाजन हेतु पेश किया है और यह मुख्य अनुतोष भी चाहा गया है । विकयपत्र को निरस्त व एबीनीशियो घोषित करने का अनुतोष एन्सीलरी अनुतोष है, इसलिए हस्तगत वाद पत्र का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इसीलिए श्रीमती प्रेम की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है । आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.01.08 12:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

कथन किया गया है कि वादीगण ने सही तथ्यों के आधार पर अपना वाद पत्र पेश किया है, क्योंकि विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में अवैधानिक तरीके से निष्पादित किया है, वादीण का सहखातेदार होने के कारण इस भूमि में उनके अधिकार निहित हैं, वादीण की सहमति के बिना प्रतिवादी संख्या 1 को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं था, इसी कारण वादीण ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश किया है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है । आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत उक्त वाद पत्र खारिज होने योग्य नहीं है । आगे कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 7454 रकवा 1.59 हैक्टेयर पर श्रीमती प्रेम का कब्जा न होकर वादीगण का ही कब्जा है और इस आधार पर श्रीमती प्रेम के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस के दौरान पक्षकारान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जवाब में वर्णित कथनों की ही पुनःरावृत्ति की गई है । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि वादीगण द्वारा अपना यह वाद पत्र रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निरस्त कराने के सम्बन्ध में पेश किया गया है । वादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के जवाब में भी यह कथन किए गए हैं कि विक्रयपत्र को निरस्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

एबीनीशियो घोषित करने का अनुतोष एन्सीलरी अनुतोष है, इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद पत्र पंजीकृत विक्रयपत्र को निरस्त कराने के कथनों की स्वीकारोक्ति है । जहां कि विधि का प्रश्न है, किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने सम्बन्धी वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है । चूंकि वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के तहत बाधित होने के कारण इस न्यायालय श्रवणाधिकार के बाहर का है, इसलिए वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य पाये जाने के कारण उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ती स्वीकार की जाती है तथा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है, तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित समझा जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.1.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:49:51 IST
Reason: SelfAttested